Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में नगर पालिका, सांभरलेक का चैयरमैन एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 1 लाख 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *13 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये बालकिशन जांगिड़ चैयरमैन, नगर पालिका सांभरलेक, जिला जयपुर एवं उसके दलाल शैलेन्द्र चौधरी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **1 लाख 25 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके आवासीय मकान का पट्टा जारी करने की एवज में बालकिशन जांगिड़ चैयरमैन, नगर पालिका सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा उसके दलाल शैलेन्द्र चौधरी (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **2 लाख 60 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री सचिन शर्मा** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये बालकिशन जांगिड़ पुत्र श्री ताराचंद जांगिड़ निवासी छोटा बाजार, सांभरलेक, जिला जयपुर हाल चैयरमैन, नगर पालिका सांभरलेक, जिला जयपुर को उसके दलाल शैलेन्द्र चौधरी पुत्र श्री जीवनराम चौधरी निवासी गांव रोजड़ी, पुलिस थाना फुलेरा, जिला जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **1 लाख 25 हजार रुपये रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।